

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.27(8)न्याय / 2016

जयपुर, दिनांक

10 APR 2023

:: परिपत्र ::

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति/मृत्यु/अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृति आदेश जारी करने/चयनित वेतनमान स्वीकृत करने/परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर नियमितिकरण/कर्मचारियों द्वारा हड्डताल पर जाने पर सामूहिक अवकाश अवधि में अवकाश की प्रकृति एवं वेतन आदि स्वीकृत करने हेतु (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर भर्ती को छोड़कर) एवं समस्त कार्मिकों के लम्बित प्रकरणों की नियमानुसार समुचित कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु समस्त न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 08.03.2023 द्वारा निर्देशित किया गया है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में कार्यरत कार्मिकों (राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान चयन बोर्ड से चयनित) की पदोन्नति हेतु राज्य स्तर पर एकजार्इ वरिष्ठता सूची बनाई जानी है। अतः निर्देशानुसार इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 08.03.2023 में उल्लेखित पदोन्नति के कार्य को विलोपित माना जावे। शेष कार्य यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,

—

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. न्यायाधीश, समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव